बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी
बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 196 पटना, दिनांक 25/03/2022
संचिका-BRDS/HR/17/2020

प्रेषक,

सी०पी० खण्डूजा
आयुक्त, मनरेगा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बी०आर०डी० एस०, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषय:- BRDS अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों / पदाधिकारियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में।

महाशय,

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (BRDS) के13वी कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बी०आर०डी०एस० अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों / पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबधित संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार होंगे:-

1. **अनुबंध पर नियोजित BRDS कर्मियों के विरूद्ध शाश्ती (दण्ड) का प्रावधान-:**

अनुबंध पर नियोजित BRDS कर्मियों के विरूद्ध दोष की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार निम्नलिखित रूप से शाश्ती (दण्ड) का अधिरोपण किया जा सकता है -

(i) लिखित चेतावनी।
(ii) बिना संचयी प्रभाव के तीन वार्षिक वृद्धियों तक रोक।
(iii) संचयी प्रभाव के साथ अधिकतम तीन वार्षिक मानदेय वृद्धियों पर रोक।
(iv) मूल मानदेय में कटौती - 5% से 25% तक की 1 से 5 साल की अवधि के लिए कटौती।
(v) Performance Incentive में कटोती
(vi) अनुबंध रद्द / समाप्त करना।
(vii) गबन की स्थिति में अनुबंध रद्द/समाप्त करने के साथ गबन की राशि की वसूली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई।

2. **अनुशासनात्मक प्राधिकार :-**
अनुशासनिक, अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकार इस प्रकार है :

कर्मी / पदाधिकारी का स्तर	अनुशासनिक प्राधिकार (Disciplinary Authority)	अपीलीय प्राधिकार (Appellate Authority)	पुनरीक्षण प्राधिकार (Reviewing Authority)
प्रखंड और पंचायत स्तर के कर्मी (कार्यक्रम पदाधिकारी को छोड़कर)	उप विकास आयुक्त - सह - अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक	जिला पदाधिकारी - सह - जिला कार्यक्रम समन्वयक	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

कार्यक्रम पदाधिकारी व जिला स्तरीय सभी कर्मी / पदाधिकारी (जिला कार्यक्रम प्रदाधिकारी को छोड़कर)	जिला पदाधिकारी – सह – जिला कार्यक्रम समन्वयक	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	--------
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय सभी कर्मी / पदाधिकारी	आयुक्त, मनरेगा	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	--------

3. अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया :-

वर्त्तमान में अनुबंध पर नियोजित BRDS कर्मियों / पदाधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया स्पष्टीकरण के पश्चात् संतुष्ट नहीं होने पर अनुबंध रद्द करने का प्रावधान है। बिंदु-1 अनुसार विभिन्न प्रकार की दंड के निर्धारण के क्रम में अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया निम्न प्रकार की जानी है :-

(क) अनुशासनिक प्राधिकार को किसी प्रकार की शिकायत मिलने अथवा समीक्षा में किसी पदाधिकारी / कर्मी के सम्बन्ध में अनुशासनहीनता / आचरण नियमावली के उल्लंघन अथवा संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी /कर्मी से स्पष्टीकरण की माँग की जायेगी।

(ख) स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत यदि यह पाया जाता है की कर्मी/पदाधिकारी का दोष नहीं है तो उक्त कर्मी/पदाधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(ग) निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर एकतरफा कार्रवाई की जायेगी।

(घ) स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। सुनवाई के उपरान्त दोष की प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर शाश्ती (दण्ड) का निर्धारण किया जायेगा।

(ङ) अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दंड के आदेश के 30 दिनों के अंदर कर्मी/पदाधिकारी द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपीलीय आवेदन देंगे।

(च) अपीलीय प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार से मंतव्य /संबंधित अभिलेख प्राप्त कर सुनवाई करते हुये अपीलीय कार्यवाही का निष्पादन यथासंभव 90 दिनों के अंदर किया जायेगा।

(छ) प्रखंड स्तर के कर्मियों (कार्यक्रम पदाधिकारी को छोड़कर) को प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के समक्ष पुनरीक्षण का आवेदन समर्पित करेंगे। अपीलीय आदेश पारित होने के 30 दिनों के अंदर पुनरीक्षण आवेदन समर्पित करना आवश्यक होगा।

(ज) पुनरीक्षण प्राधिकार द्वारा अपीलीय प्राधिकार से मंतव्य या / और संबंधित अभिलेख प्राप्त कर मामले की सुनवाई करते हुए यथासंभव 90 दिनों के अंदर पुनरीक्षण मामले में आदेश पारित किया जायेगा।

(झ) BRDS Bye Laws के कंडिका 11 के उपबंध (xv) में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-अध्यक्ष, BRDS द्वारा उनमें निहित अपीलीय प्राधिकार के शक्ति को CEO, BRDS या किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकती है।

अत: BRDS कर्मियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
25.03.22

(सी०पी0 खंडूजा)
आयुक्त मनरेगा-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बी0आर0डी0एस0

प्रतिलिपि :

1. BRDS के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्री सरोज कुमार, निदेशक, ई-गवर्नेंस एवं आई.टी,BRDS को BRDS वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
3. श्री सुनील कुमार, आई.टी प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।